समाहरणालय, गोड्डा।
(जिला भू-अर्जन शाखा)

goddadlao@gmail.com

आम सूचना

220/132/33 के0भी0 ग्रीड सबस्टेशन का निर्माण परियोजना हेतु भू-अर्जन के लिए सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन का संक्षिप्त विवरणी

1. परियोजना विवरण

परियोजना का नाम - 220/132/33 के भी0ग्रीड सबस्टेशन का निर्माण

अधियाचित विभाग-विद्युत अधिक्षण अभियंता, संचरण निगम लिमिटेड, संचरण अंचल-दुमका

जिला का नाम - गोड्डा

प्रखंड - पथरगामा,

मौजा - श्रीपुर

थाना नं0 - 199

अधियाचित कुल रकवा - 16.78 एकड़

एस0आई0 ईकाइ का नाम - नवदृष्टि, रांची, झारखंड

2. समाजिक प्रभाव मूल्यांकन का विवरण

क. परिचय

विद्युत अधिक्षण अभियंता, संचरण निगम लिमिटेड, संचरण अंचल-दुमका द्वारा प्रस्तावित परियोजना 220/132/33 के भी0ग्रीड सबस्टेशन का निर्माण हेतु गोड्डा जिले के पथरगामा अंचल के अंतर्गत मौजा श्रीपुर में सब स्टेशन परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है।

समाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन झारखंड राज्य के झारखंड भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली 2015 (अध्ययन III) तथा भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (धारा 4) के आलोक में किया गया है।

अधियाचित भूमि का विवरण

गोड्डा जिला के श्रीपुर मौजा में 16.78 एकड़ भूमि विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण निगम लिमिटेड, दुमका द्वारा 220/132/33 के0भी0 ग्रीड सबस्टेशन का निर्माण परियोजना प्रस्तावित है। इस परियोजना हेतु भूमि का उपयोग कम से कम करने का प्रयास किया गया है। परियोजना से रोजगार, क्षेत्र में विद्युत की स्थिति, कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन होगा।

क्र0सं0	ग्राम का नाम	थाना	थाना नं0	अंचल	अधियाचित रकवा (एकड़ में)
1	2	3	4	5	6
1	श्रीपुर	पथरगामा	199	पथरगामा	16.78

प्रभावित परिवार का विवरण

प्रस्तावित परियोजना अंतर्गत उपरोक्त ग्रामों में कुल रकबा 16.78 एकड़ भूमि की अधियाचना विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण निगम लिमिटेड, संचरण अंचल दुमका के द्वारा दी गई है। इससे प्रत्यक्ष रूप से 215 परिवार प्रभावित होंगे।

परियोजना प्रभावित क्षेत्र	परियोजना से प्रभावित परिवारों की सं0
1	2
श्रीपुर, थाना नं0- 199	175

परियोजना का प्रभाव

1. सकारात्मक प्रभाव – प्रस्तावित परियोजना के स्थापना से इस क्षेत्र के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जैसे – रोजगार के नये अवसर उत्पन्न होंगे एवं विद्युत की स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन होंगे।
2. नकारात्मक प्रभाव – परियोजना का प्रत्यक्ष रूप से कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव नहीं है। प्रभावित परिवारों की मांग है कि उन्हें अधियाचित भूमि का उचित मुल्यांकन कर मुआवजा राशि शीघ्र भुगतान किया जाय।

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन

भू अर्जन के फलस्वरूप प्रभावित परिवारों पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को उचित मुआवजे एवं आर्थिक विकास से कम किया जा सकता है। प्रभावित परिवारों में से काफि संख्या में परिवार रोजगार/व्यवसाय/नौकरी आदि अन्य कार्य आदि हेतु ग्राम से बाहर अन्य स्थानों जैसे – गोड्डा, बांका, रांची, धनबाद आदि शहरों में निवास करते है। समाजिक प्रभाव प्रबंधन के लिए सभी प्रभावित परिवारों को उनकी भूमि तथा अन्य संरचना के नुकसान का उचित मुल्य झारखंड सरकार की अधिसूचना के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

मुल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति

भूमि की किस्म	धानी I	धानी II	धानी III एवं बाड़ी II	बाड़ी I	आवासीय भूमि (Homestead Land)
भूमि का दर प्रति एकड़ रू0 में	1227600.00	920700.00	613800.00	767250.00	1227600.00

निष्कर्ष

उक्त परियोजना लोकहीत तथा लोक प्रयोजन के उद्देश्य से अभिप्रेरित है तथा इससे क्षेत्र के जन-जीवन का सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक गुणात्मक विकास में सहयोग प्राप्त होगा। भू अर्जन को भी न्यूनतम रखा गया है। अतः परियोजना हेतु भू अर्जन किया जा सकता है।

उपायुक्त सह-समुचित सरकार,
गोड्डा (भू-अर्जन, 5000 हेक्टेयर)।

z/uma-081217-smrv.doc

ज्ञापांक 1333 /भू0अ0 गोड्डा दिनांक 09/12/2017

[illegible] प्रतिलिपि [illegible] प्रभावित क्षेत्रों में आम सूचना का [illegible] सुनिश्चित करना।

2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पथरगामा को सूचनार्थ प्रेषित। आम सूचना को संबंधित ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को नाम/पदनाम के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं प्राप्ति रसीद जिला भू-अर्जन कार्यालय में एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायेंगे।

3. जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आम सूचना को दो दैनिक समाचार पत्रों के क्षेत्रीय संस्करण में सुस्पष्ट प्रकाशित कराते हुए प्रकाशित पत्र की पेपर कटिंग जिला भू-अर्जन शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आम सूचना को गोड्डा जिला के वेबसाईट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

5. अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा/अपर समाहर्त्ता, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि आम सूचना को अपने कार्यालय सूचना पट पर प्रदर्शित/चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।

6. कार्यकारी निदेशक, नवदृष्टि फ्लैट नं0- 2/C, रामेश्वरम अपार्टमेंट, फेज-3, अशोक कुन्ज अरगोड़ा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7. विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण निगम लिमिटेड, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0

उपायुक्त-सह-समुचित सरकार,
गोड्डा (भू-अर्जन, 5000 हेक्टेयर)।

ज्ञापांक- 1333 /भू0अ0 गोड्डा दिनांक- 09/12/2017

प्रतिलिपि:- उपायुक्त-सह-समुचित सरकार, गोड्डा (भू-अर्जन, 5000 हेक्टेयर) के गोपनीय शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त-सह-समुचित सरकार,
गोड्डा (भू-अर्जन, 5000 हेक्टेयर)।